

(रा.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाना जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम हाकरखेड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2077 व 2080 के खाता संख्या 333 में मेरा/हमारे नाम सुरेश कुमार पुत्र देवराज 334 एवं देवराज के खाता सं. 90.91 दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम सुरेश पौल पुत्र देवराज है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

*Sureja*  
हस्ताक्षर प्रार्थी / प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

पार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजों में सुरेश पौल हैं जल्दी जमाबन्दी में सुरेश कुमार दर्ज हैं अतः सुरेश पौल को जिला स्तरा उचित है भीतार ILR की धारा में दर्ज है

*14/12/25*  
*142 अजित*  
*23/12/25*

*Sureja*  
प्रमाणित

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Case No. 2026/206

*23.12.25*  
तहसीलदार समदडी

आदेश

13/03/2026

कमांक / / / 215

दिनांक

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम हाकरखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2077 व 2080 के खाता संख्या 333, 334 एवं देवराज के खाता संख्या 90.91 में सुरेश कुमार पुत्र देवराज के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

सुरेश पौल पुत्र देवराज

करने की प्रतीति प्रदान

की जाती है तदनुसार रेकॉर्ड में अगल दस्तावेज की जांच की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)